

1. प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है।

निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक कार्रवाई के लिए दिशानिर्देशों के साथ संलग्न हैं।

- अनुलग्नक में चयनित केंद्र - I
- बजट विवरण अनुबंध II में दिया गया
- बजटीय दिशानिर्देश अनुबंध III पर दिए गए हैं।
- परिचालन दिशानिर्देश अनुबंध IV पर दिए गए हैं।
- निमंत्रण परफा फॉर्म -1
- साहसिक शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची फॉर्म -2 में
- नामांकन प्रपत्र फॉर्म -3 पर
- रिपोर्टिंगप्रारूपफॉर्म -4पर
- प्रतिभागियों के लिए अपेक्षा और फीडबैक प्रपत्र - फॉर्म -5 और 6 पर
- साहसिक शिविरों के आयोजन के लिए फॉर्म - 7 में कार्यान्वयन योजना दिशानिर्देशों के साथ संलग्न हैं।

2. अनुदानकर्ता संस्थान के खाते सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971, जीएफआर 2005 की धारा 211के प्रावधान के तहत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा निरीक्षण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के वेतन और लेखा कार्यालय के आंतरिक ऑडिट के तहत , जब भी अनुदानकर्ता को ऐसा करने के लिए कहा जाता है ,के लिए खुले रहेंगे।

3. अनुदानकर्ता जीएफआर 19 के तहत निर्धारित प्रपत्र में परिसंपत्तियों का रजिस्टर बना कर रखेंगे।संपत्ति पूरी तरह से या सरकारी अनुदान से अधिगृहीत की गई है तो, सिवाय इसके कि जिन्हें अप्रचलित और अपरिवर्तनीय के रूप से घोषित को सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटान युवा मामलों और खेल मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।

4. कार्यक्रम युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है तो लोगों को आमंत्रित करते हुए और कार्य / कार्यक्रम / ईवेंट्स आयोजित करते हुए इसे प्रमुखता से उजागर और प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

5. शिविर के दौरान वित्तीय और सामाजिक समावेशन के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए।

6. आपसे अनुरोध है कि संबंधित नेयुके के जिला युवा समन्वयक से कहें कि वे साहसिक शिविर के आयोजन के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

7. एनएसएस और एनसीसी की स्थानीय जिला / राज्य इकाइयों को इस कार्यक्रम के सफल / कार्यान्वयन के लिए समन्वित किया जाना चाहिए।

8. साहसिक शिविर के इस कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए।

- सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए और साथ ही साथ इन्द्रधनुष कार्यक्रम और स्वच्छता गतिविधियों के लिए प्रतिभागियों को भारत सरकार के राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों से भी अवगत कराया जाना चाहिए।
- संस्थान और संदर्भ व्यक्तियों का समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- साहसिक शिविरकी रूपरेखा के अनुसार अनुपालन ।
- लाभार्थियों का डेटा एकत्र किया जाना चाहिए और उसे रिपोर्ट के साथ भेजा जाना चाहिए।
- प्रतिभागियों की फीड बैक एकत्र किया जाए और रिपोर्ट के साथ भेजा जाए।
- कार्यक्रम और नियोजन विवरण की अनुसूची को प्राथमिकता पर एनपीवाइएडी अनुभाग, नेयुकेस मुख्यालय को Project.nyks@gmail.com पर और साथ ही साथ महानिदेशक को सीधे उनकी ईमेल पर भेजा जाना चाहिए , अगर नहीं भेजा तो यह माना जाएगा कि जिला युवा समन्वयक एडवेंचर कैंप का संचालन नहीं कर रहा है / नहीं कर रहा है।
- प्रतिभागी का चयन ठीक से किया जाना चाहिए (दिशानिर्देशों के अनुसार)

9. शिविरों की अनुसूची को तर्कसंगत तरीके से और निरीक्षण के लिए गुंजाइश की योजना बनाई जानी चाहिए, कार्यक्रम में दौरे और आश्चर्य की यात्राओं को शामिल किया जाना चाहिए। सतर्कता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

10. सभी राज्य निदेशकों को संलग्न प्रारूप (फॉर्म - 7) में साहसिक शिविरों के कार्यान्वयन की योजना भेजनी होगी। जिससे की सहायक निदेशक , विशेष कार्यक्रम ,एनपीवाइएडीमुख्यालयदिल्ली को 7 नवंबर, 2017 तक आवश्यक रूप से पहुंचानी चाहिए जिससे की निधि जारी की सके। यह कार्यक्रम का दौरा करने के लिए अधिकारियों और गणमान्य लोगों को आमंत्रित करने की सुविधा प्रदान करेगा।

11. साहसिक शिविर के प्रतिभागियों को आमंत्रित करना मेजबान जिला युवा समन्वयक (डीवाईसी) की प्रमुख जिम्मेदारी होगी। वह प्रतिभागी केंद्र की भागीदारी की पुष्टि करेगा। यह देखना प्रत्येक राज्य निदेशक का कर्तव्य होगा कि मेजबान केंद्र ने भाग लेने वाले केंद्र को

आमंत्रित किया है और मेजबान केंद्र ने भाग लेने वाले केंद्रों को जल्द से जल्द आमंत्रित किया है, और पुष्टि तुरंत प्राप्त की गई है।

12. योजना कार्यान्वयन के तुरंत बाद प्रतिभागियों का चयन किया जाना चाहिए और इसे संबंधित राज्य निदेशकों के साथ साझा किया जाना चाहिए । सासंद आदर्श ग्राम के युवाओं को भी साहसिक शिविरों में भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है।

13. प्रतिभागियों के आगमन पर कार्यक्रम से उनकी अपेक्षाओं के बारे में प्रतिभागी के साथ सहभागिता सत्र, और प्रस्थान के समय पर पर संबंधित राज्य निदेशकों के साथ प्रतिक्रिया सत्र आयोजित किया जाना चाहिए।

14. इस कार्यक्रम के लिए एनसीसी की स्थानीय इकाइयों को समर्थन और संसाधन जुटाने के लिए समन्वित किया जाना चाहिए। उनकी उपयुक्तता के अनुसार शिविर के दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन और डीएसीवाईपी के समर्थन का भी अनुरोध किया जाना चाहिए।

15. कार्यक्रम को अधिक पारदर्शी , उत्तरदायी, सतर्क और प्रभावी बनाने के लिए , स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री , सांसद, विधायक, पीआरआई सदस्य; एमओवाईएस के अधिकारी , जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्तित्व, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारी ; अध्यक्ष एसएसीवाईपी और डीएसीवाईपी के सदस्य और अन्य जिनके साथ एनवाईके सहयोग कर रहे हैं, उन्हें शिविर के दौरान विभिन्न अवसरों पर आमंत्रित किया जाना चाहिए। शिविर के बारे में उनकी टिप्पणी आगंतुक पुस्तिका में ली जानी चाहिए।

16. कार्यक्रम के व्यापक कवरेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को आमंत्रित किया जाना चाहिए।

17. संबंधित राज्य कार्यालयों और केंद्रों को तत्काल जारी करने के लिए आरटीजीएस के माध्यम से संबंधित पीएओ नेयुकेस को आवश्यक धनराशि जारी की जा रही है।

18. इस पत्र के साथ संलग्न बजट विवरण के अनुसार ही निधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। कोई भी डायवर्जन नहीं होना चाहिए। यहां तक कि आंतरिक शीर्ष डायवर्जन की अनुमति नहीं है खातों का समायोजन वास्तविक व्यय या शीर्ष के तहत अधिकतम स्वीकार्य राशि के आधार पर होगा, जो कभी भी कम होगा। यदि प्रतिभागियों की संख्या कम होगी तो भोजन एवं आवास और अन्य व्यय राशि के अनुसार कटौती की जाएगी।

19. सही और पूर्ण वास्तविक समय लेखांकन द्वारा समर्थित धन के उपयोग में पारदर्शिता और संभावना सुनिश्चित की जानी चाहिए।

20. कार्यक्रम की तैयारी के चरण की अवधि के दौरान , डीवाईसी को राज्य निदेशकों को साप्ताहिक और पाक्षिक रिपोर्ट भेजनी होगी। राज्य निदेशकों से अनुरोध है कि संकलित साप्ताहिक और पाक्षिक रिपोर्ट डॉ ए के वर्मा , सहायक निदेशक, (एनपीवाईएडी) को भेजें। उसकी ईमेल आईडी project.nyks@gmail.com है।

21. व्यापक निगरानी तंत्र और रिपोर्टिंग प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए। एक दैनिक रिपोर्ट एसडीएस द्वारा डॉ ए के वर्मा, सहायक निदेशक, (एनपीवाईएडी) को भेज दी जानी चाहिए।

22. संबन्धित राज्य निदेशकों को भी बैठकों के माध्यम से दैनिक आधार पर प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए और यदि इसके बाद मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। इसी तरह, उन्हें महानिदेशक और मुख्यालय द्वारा अग्रेषित निर्देशों के बारे में भी सतर्क रहना चाहिए और उसका अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

23. प्रत्येक साहसिक शिविर के लिए प्रतिभागियों की श्रेणीवार सूची संबंधित डीवाईसी द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए , और संकलित सूची को सम्मानित एसडी द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रमों के आयोजन के बाद राज्य निदेशक कार्यक्रम के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट संकलित और प्रस्तुत करेंगे।

24. कार्यक्रम के 07 दिनों के दौरान आयोजित की गई गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट के साथ दिशानिर्देशों में संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में वास्तविक प्रगति रिपोर्ट को गुणवत्ता कार्रवाई तस्वीरों, प्रेस क्लिपिंग और वीडियो क्लिपिंग द्वारा समर्थित होना चाहिए।

25. रिपोर्ट में मूल्यांकन रिपोर्ट , फीडबैक रिपोर्ट और प्रतिभागियों द्वारा दिए गए फीडबैक के विश्लेषण का समावेश भी होना चाहिए।

26. कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त रिपोर्ट की हार्ड प्रतियों (3 प्रतियों) को सॉफ्ट प्रतियों के साथ मुख्यालय को भेजा जाना आवश्यक है।

27. वास्तविक व्यय पर आधारित और स्वीकृत जारी राशि के भीतर अंकेक्षित उपयो गिता प्रमाण पत्र को कार्यक्रम के पूरा होने के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुबंध- I

राज्यवार संख्या जो 2017-18 के लिए साहसिक शिविरों के कार्यान्वयन के लिए चयनित की जा सकती है।

क्र.सं.	वेतन एवं लेखा कार्यालय	राज्य	राज्य में केन्द्रों की संख्या	आवंटित साहसिक शिविरों की संख्या
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
1	बंगलौर	आंध्र प्रदेश	13	3
2		तेलंगाना	10	2
3		तमिलनाडू	30	4
4		पुदुच्चेरी	4	1
5		कर्नाटक	27	4
6		केरल, लक्षद्वीप एवं माहे	15	3
7	गांधीनगर	गुजरात, दादर नगर एवं हवेली, दमन एवं द्वीयू तथा गोवा	29	5
8		मध्य प्रदेश	48	2
9		छत्तीसगढ़	16	2
10		महाराष्ट्र	35	2
11	अलीपुर	राजस्थान	32	4
12		दिल्ली	9	1
13		हरियाणा	19	3
14		पंजाब एवं चंडीगढ़	21	3
15		हिमाचल प्रदेश	12	3
16		जम्मू एवं कश्मीर	14	3
17	गुवाहाटी	सिक्किम	4	1
18		आसाम	27	5
19		अरुणाचल प्रदेश	15	2
20		मेघालय	7	2
21		त्रिपुरा	4	1
22		नागालैंड	11	3
23		मणिपुर	10	2
24		मिजोरम	8	2
25	भुवनेश्वर	ओडिशा	30	4
26		बिहार	38	5
27		पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		
28		झारखंड	22	3
29	लखनऊ	उत्तराखंड	13	2
30		उत्तर प्रदेश	71	8
कुल			623	90

नेहरू युवा केंद्र संगठन
पूर्वोत्तर कैंप 2017-18 के लिए बजट विवरण

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत बजट के 90% राशि की पहली किश्त रुपये 84,37,500 / - (रुपए अस्सी चार लाख तीस सात हजार पांच सौ) महानिदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन, कोर 4, द्वितीय तल, स्कोप मीनार, ट्विन टॉवर कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092 को जारी की गई हैं। इसलिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एनपीवायएडी योजना के तहत साहसिकता को प्रोत्साहन के घटक के तहत वर्ष 2017-18 के लिए 90 साहसिक शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

क्रम	विवरण	राशि (रु)
1.	बोर्डिंग और टेंटेज के लिए रु 250 / - प्रति व्यक्ति 7 दिनों के लिए 25 युवा (25x250x07) लिए	43,750/-
2.	यात्रा भत्ता 25 व्यक्तियों के लिए 500 रुपये प्रति व्यक्ति (25x500)	12,500/-
3.	ट्रेकिंग / कैम्पिंग उपकरण किराया / एकमुश्त आधार पर खरीद के लिए	25,000/-
4.	उपरोक्त भोजन एवं आवास की आकस्मिकता 25% की दर से	12,500/-
कुल		93,750/-

एक शिविर के लिए बजट रु 93,750 / - 90 शिविरों के लिए $93,750 \times 90 = 84,37,500 / -$ कार्यान्वयन योजना की प्राप्ति के बाद उपर्युक्त स्वीकृत बजट अनुबंध I में सूची के अनुसार शिविरों के आयोजन के लिए जारी किया जाएगा

इसके अलावा यह निर्देशित किया जाता है कि:

रसीद एवं भुगतान विवरण, आय और व्यय विवरण और बैलेंस शीट और पूर्ववर्ती पैरा पर उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के लेखा परीक्षित विवरण के साथ शिविरों के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जीएफआर 2004 के नियम 150 (5) के अनुसार अनुदान द्वारा शुरू किए जाने वाले सरकारी अनुदान के आरंभिक और सहायक खातों के संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंट द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र की जाँच की जानी चाहिए और उस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र कि उपयोग की गई राशि से निर्धारित और गुणात्मक लक्ष्य प्राप्त किया गया और यदि नहीं तो इसके कारणों को उपयोगिता प्रमाण पत्र में दर्शाया जा सकता है।

नेहरू युवा केंद्र संगठन
साहसिक कार्यक्रमों के संगठन के लिए दिशानिर्देश
2017-18

परिचय

युवा किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीवायएडी) नाम की इस योजना का गठन 10 वीं योजना के दौरान चार 100% केंद्रीय क्षेत्र अनुदान-सहायता योजनाओं के विलय के रूप में किया गया है, जैसे :- 10 वीं योजना के दौरान , युवा गतिविधियां और प्रशिक्षणसंवर्धन , राष्ट्रीय एकता, साहसिक कार्य और विकास को बढ़ावा देना और किशोरों का सशक्तिकरण।

साहसिकता को बढ़ावा देना एनपीवायएडी योजना के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। साहसिक गतिविधियों से युवाओं में जोखिम की भावना पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है - सहकारी टीमवर्क , चुनौतीपूर्ण स्थितियों के लिए तैयार और महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया की क्षमता और धीरज।

यह युवाओं की प्रचुर ऊर्जा , उत्साह और कल्पना के लिए एक रचनात्मक त और खुशहाली भी प्रदान करता है। जबकि सभी युवाओं को खुद को साहसिक सुविधाओं का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए, यह योजना विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों और गैर-छात्र युवाओं की सेवा करने का इरादा रखती है , जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-छात्र युवा लोगों पर विशेष जोर देते हैं।

उद्देश्य:

- युवाओं में रोमांच और जोखिम उठाने की भावना को प्रोत्साहित करना।
- पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देने के साथ प्रकृति संरक्षण को बढ़ाना।

परियोजना के बारे में:

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदन सं जी12011/1/ 2018-एनपीवायएड दिनांक 25-8-2018 के द्वारा रु93,75,000 / - (रुपये तिरानवे लाख पचत्तर हजार केवल) @ रु93,750 / प्रति शिविर - वर्ष 2017-18 के लिए 100 एडवेंचर कैंपों के आयोजन के लिए 90% स्वीकृत राशि रु84,35,500 /है। इसलिए साहसिक शिविर के आयोजन हेतु 90%राशि अनुबंध- I के अनुसार 93,750 / - प्रति शिविर और कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करने के आधार पर जारी कि जा रही है।

शिविरों की गतिविधियाँ: गतिविधियों में शामिल होंगे ---

1. ग्राउंड / रॉक: अच्छी तरह से स्थापित ट्रेकों पर ट्रेकिंग , रॉक क्लाइम्बिंग, रिपेलिंग, सफारीस, कृत्रिम रॉक / दीवार पर चढ़ाई
2. जलीय : सफेद जलीय राफ्टिंग, कयाकिंग और कैनोइंग, लंबी तैराकी, जलीय खेल
3. वायु: पैरा सेलिंग, पैरा ग्लाइडिंग, हेंग ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग

इनके अलावा , साहसिक शिविर के दौरान प्रतिभागियों द्वारा हर रोज एक सफाई अभियान चलाया जाएगा और राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर प्रतिभागियों को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए विशेषज्ञों और संसाधन व्यक्तियों की मदद से विशेष सत्र भी आयोजित किए जाने चाहिए।

- सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए और साथ ही साथ इन्द्रधनुष कार्यक्रम और स्वच्छता गतिविधियों के लिए प्रतिभागियों को भारत सरकार के राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों से भी अवगत कराया जाना चाहिए।
- संस्थान और संदर्भ व्यक्तियों का समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- साहसिक शिविर की रूपरेखा के अनुसार अनुपालन ।
- लाभार्थियों का डेटा एकत्र किया जाना चाहिए और उसे रिपोर्ट के साथ भेजा जाना चाहिए।
- प्रतिभागियों की फीड बैक एकत्र किया जाए और रिपोर्ट के साथ भेजा जाए।
- कार्यक्रम और नियोजन विवरण की अनुसूची को प्राथमिकता पर एनपीवाइएडी अनुभाग, नेयुकेस मुख्यालय को Project.nyks@gmail.com पर और साथ ही साथ महानिदेशक को सीधे उनकी ईमेल पर भेजा जाना चाहिए , अगर नहीं भेजा तो यह माना जाएगा कि जिला युवा समन्वयक एडवेंचर कैम्प का संचालन नहीं कर रहा है / नहीं कर रहा है।
- प्रतिभागी का चयन ठीक से किया जाना चाहिए (दिशानिर्देशों के अनुसार)

प्रधानमंत्री जन धन योजना, (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना)।

मुद्रा बैंक (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड री-फाइनेंस एजेंसी)।

स्वच्छ भारत मिशन, निर्मल भारत अभियान- शौचालयों का निर्माण।

डिजिटल इंडिया।

मेक इन इंडिया।

कौशल भारत।

बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ अभियान।

सुशासन और नागरिक जिम्मेदारियों का अभ्यास और संवर्धन।

सासंद आदर्श ग्राम योजना में प्रतिभागिता।

श्रमदान - युवाओं को अपने क्षेत्रों में एक वर्ष (2 घंटे एक सप्ताह) में स्वैच्छिक आधार पर 100 घंटे समर्पित करने के लिए प्रेरित करना।

युवाओं और जनता के लाभ के लिए अन्य योजनाएं।

मान्यता प्राप्त साहसिक संस्थानों का नाम

1. भारतीय पर्वतारोहण महासंघ (IMF)
2. राष्ट्रीय जल खेल संस्थान, गोवा
3. एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
4. नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी (उत्तराखंड)
5. हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग
6. स्वामी विवेकानंद पर्वतारोहण संस्थान, माउंट आबू (राजस्थान)
7. जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड वाटर स्पोर्ट, पहलगाम, जम्मू और कश्मीर
8. नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, मयूर विहार 1 एकसट।, दिल्ली -110091
9. अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट, मनाली।
10. राष्ट्रीय पर्वतारोहण संस्थान और संबद्ध खेल, दिरंग, अरुणाचल प्रदेश
11. भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान, गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर।
12. पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण
13. प्रशिक्षण संस्थान, मनसियारी (उत्तराखंड)
14. हाई एटीट्यूड वारफेयर स्कूल, गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर
- 15। अन्य सरकार एडवेंचर के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त संस्थान

प्रतिभागियों का चयन:

केवल 25 प्रतिभागी अपने प्रकार के एक साहसिक कार्यक्रम में भाग लेंगे।

राज्य निदेशक / मेजबान नेयुके प्रतिभागी नेयुके को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करेगा केवल उन युवाओं के चयन किया जाए जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं।

- प्रतिभागियों का आयु वर्ग 15-29 के बीच होना चाहिए।
- सभी प्रतिभागियों को नेयुके से जुड़े युवा क्लबों का सदस्य होना चाहिए और साहसिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

- सांसद आदर्श ग्राम के युवाओं को साहसिक शिविरों में भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है।
- महिलाओं, अज /अजजा /अपिजा को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। प्रतिभागियों में से कम से कम 30% महिलाएं होनी चाहिए।
- सभी प्रतिभागियों को साहसिक कार्यक्रम के लिए नियोजित सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए तैयार और सक्षम होना चाहिए।
- पिछले साहसिक शिविर के प्रतिभागियों को चयन के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।

सभी भाग लेने वाले युवाओं को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वे अपने माता-पिता द्वारा निर्धारित किए गए प्रोफार्मा में एक घोषणा प्रस्तुत करें, जिससे वे अपने जोखिम पर कार्यक्रम में शामिल हो सकें। उसी के लिए विकसित प्रोफार्मा को निमंत्रण पत्र के साथ प्रतिभागियों केन्द्रों को परिचालित किया जाता है।

समन्वय / सुरक्षा उपाय:

प्रत्येक कार्यक्रम में संबंधित क्षेत्र में सिद्ध विशेषज्ञता के एक मान्यता प्राप्त संस्थान के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि राष्ट्रीय साहसिक फाउंडेशन और अन्य समान संस्थानों की सहायता लें। किसी भी चूक से बचने के लिए साहसिक कार्यक्रम का आयोजन करते समय सभी निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।

प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया:

साहसिक शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया शिविर से पहले ली जानी चाहिए और कैंप पूरा होने के बाद (फॉर्म 5 और 6) और फीडबैक के प्रश्नावली विश्लेषण को तैयार किया जाना चाहिए और प्रोग्राम रिपोर्ट के साथ भेजा जाना चाहिए।

प्रारूप- आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बांड और मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए प्रारूप नीचे दिया गया है जिसे आवेदक द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन के समय भरा जाना चाहिए।

नेहरू युवा केंद्र संगठन
स्वायत्तशासी संस्था
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार
साहसिक शिविर, 2017-18

आवेदन पत्र
(मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और क्षतिपूर्ति बॉन्ड के साथ जमा किया जाना है)

नाम: —.....
पिता का नाम/पति या पत्नी का नाम: —.....
जन्म तिथि: —..... आयु 1 जून 2017 को
लिंग: —.....
शैक्षिक योग्यता:—.....
जनजाति का नाम: —.....
पूरा पता, पिन कोड के साथ : —.....

प्रतिभागियों के विधिवत
पासपोर्ट आकार के
फोटोग्राफ को चिपकाने
के लिए जगह

(स्वयं और अभिभावक दोनों) एसटीडी कोड के साथ फोन नंबर/मोबाइल नंबर पर
संपर्क करें: —.....
साहसिक शिविर में पहले भाग लिया या नहीं
क्या युवा मंडल/महिला मंडल के सदस्य
युवा कार्य या सामुदायिक सेवा में अनुभव
इस कार्यक्रम से आपकी क्या उम्मीदें हैं।.....

बैंक खाते के विवरण:—

बैंक खाता संख्या: ————— आधार संख्या:—————

बैंक का नाम:—————

MICR कोड: —————IFSC कोड:—————

नाम और पता दो संदर्भों के टेलीफोन नंबर

संदर्भ 1 का विवरण: —

नाम: —————

पता: —————

टेलीफोन/मोबाइल नंबर —————

संदर्भ 2 का विवरण: —

नाम: —————

पता: —————

टेलीफोन/मोबाइल नंबर —————

मैं मानता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी वचन दे रहा हूँ कि मैंने अपने माता-पिता/अभिभावक को साहसिकशिविरों में भाग लेने के लिए सूचित कर दिया है।

आवेदक का हस्ताक्षर
(नाम))

स्थान:
दिनांक:

नेहरू युवा केंद्र संगठन
क्षतिपूर्ति बांड
(आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत करने के लिए)
साहसिक शिविर, 2017-18

मैं, _____ का सुपुत्र/सुपुत्री, _____ गांव का निवासी _____, _____ जिला _____ यह घोषणा करते हैं कि साहसिक शिविर 2017-18 के प्रतिभागी के रूप में, मैं स्वेच्छा से साहसिक शिविर के कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेता/लेती हूं और मुझे साहसिक शिविर (साहसिक शिविर और वापसी के कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए यात्रा सहित) की विस्तृत जानकारी दी गई है और किसी भी परिस्थिति में मैं किसी के लिए कोई दावा नहीं करूंगा/करुंगी। चोट या कोई दुर्घटना जो मुझे साहसिक शिविर 2017-18 के कार्यक्रम और गतिविधियों के दौरान हो सकती है।

मैं पूरी तरह से समझता हूं कि नेयुकेसं और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार इस कार्यक्रम और गतिविधि के दौरान मेरे द्वारा किसी भी दुर्घटना/हानि/चोट के परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार का मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा/होऊंगी।

_____ (प्रतिभागी का हस्ताक्षर) (माता-पिता का हस्ताक्षर)

नाम _____

नाम _____

दिनांक _____

दिनांक _____

_____ गवाह 1 का हस्ताक्षर: गवाह 2 का हस्ताक्षर: _____

नाम _____

नाम _____

दिनांक _____

दिनांक _____

मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट
(एमबीबीएस से नीचे की डिग्री नहीं रखने वाले पंजीकृत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित होना)
(आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत करने के लिए)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) नाम):-----

आयु-----लिंग :-----

पूरा पता: -----

पिता का नाम:-----

ऊंचाई -----वजन:-----

रक्त समूह और आरएच फैक्टर: ----- छाती: -----

दिल और फेफड़े: -----

दृष्टि: दायां-----बायां-----

रंग दृष्टि: -----

सुनवाई: -----

हर्निया / हाईड्रोसेल / बवासीर: -----

टिप्पणी:-----

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री/कुमारी/श्रीमती की सावधानीपूर्वक जांच की है।
----- पुत्र/पुत्री की-----, जिन्होंने
मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। उसे कोई मानसिक और शारीरिक बीमारी नहीं है और वह कार्यक्रम में
भाग लेने के लिए फिट है।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मोहर और पंजीकरण संख्या के साथ चिकित्सा अधिकारी के

नाम: -----

स्थान:-----

दिनांक:-----

अभ्यर्थी का पासपोर्ट
साइज फोटो

नेहरू युवा केन्द्र संगठन
निमंत्रण फॉर्म
(साहसिक शिविर में भाग लेने के लिए)

सेवा में,

जिला युवा समन्वयक
नेहरू युवा केन्द्र (सहभागी केन्द्र का नाम)

प्रिय साथियों,

नेहरू युवा केन्द्र (नाम) द्वारा आयोजित किए जा रहे साहसिक शिविर में भाग लेने के लिए मुझे
..... (प्रतिभागियों की संख्या) को इस अवसर पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आमंत्रित करना है।

1. साहसिक शिविर आयोजित करने वाले नेहरू युवा केन्द्र का नाम
2. पता
3. फोन नम्बर
4. ई-मेल आईडी
5. साहसिक शिविर की तिथिसे.....तक
6. साहसिक शिविर का स्थान
7. साहसिक शिविर के आयोजन स्थल पर कैसे पहुंचा जाये.....
8. संपर्क व्यक्तियों और उनके मोबाईल एवं लैंड लाईन नम्बर

(ए) जिला युवा समन्वयक.....
(बी) लेखालिपिक-सह-टंकक.....

इसलिए आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र में भाग लेने वाले के विवरण को नवीनतम रूप से भेजें (प्रतिभागी केन्द्र से प्रतिभागियों के विवरण की अंतिम तिथि) ।

भवदीय,

जिला युवा समन्वयक
नेहरू युवा केन्द्र.....
(आयोजक केन्द्र का नाम)

संलग्न : उपरोक्तानुसार (प्रपत्र) एवं घोषणा पत्र।

प्रतिलिपि – 1. राज्य निदेशक (मेजबान केन्द्र)

2. डॉ. अर्जुन कुमार वर्मा, सहायक निदेशक, एनपीवाईएडी, नेयुकेसं मुख्यालय, दिल्ली

नेहरु युवा केन्द्र संगठन
साहसिक शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची
(प्रतिभागियों द्वारा चुने गए केन्द्र और दल को भेजने के लिए यह अनिवार्य है)
(फार्म-III के साथ जमा किया जाना है)

(ए) भाग लेने वाले केन्द्र का नाम
(बी) प्रतिभागियों की सूची

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	राज्य / संघ शासित	आवंटित किए गए साहसिक शिविरों की संख्या	क्र.सं.	शिविरों का स्थान	दिनांक	सहयोग करने वाली एजेंसियों की पहचान (एनसीसी एवं एनएसएस सहित)	क्षेत्रों की पहचान

**अ.जा. वर्ग की 16.20% और अ.ज.जा वर्ग की 8.20% भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

*कार्यक्रम में भागीदारी के लिए महिलाओं (30%) और शारीरिक रूप से अक्षम युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

(सी) रेलगाड़ी का नाम एवं नम्बर.....

(डी) उनकी यात्रा की शुरुआत दिनांक एवं समय.....

(ई) स्टेशन पर रेलगाड़ी के आने का अनुमानित समय

(एफ) उनकी वापसी यात्रा का विवरण (दिनांक एवं रेलगाड़ी का नाम)

प्रतिभागी केन्द्र के जिला युवा समन्वयक के हस्ताक्षर
नाम.....
केन्द्र की मोहर.....

दिनांक.....

स्थान.....

नेहरु युवा केन्द्र संगठन
साहसिक शिविर के लिए नामांकन फॉर्म
(प्रतिभागियों द्वारा चुने गए केन्द्र और दल को भेजने के लिए यह अनिवार्य है)

- (ए) शिविर का आयोजन करने वाले केन्द्र का नाम.....
(बी) शिविर की तिथि और अवधि.....
(सी) शिविर का स्थान

(डी) प्रतिभागियों की सूची और प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक /सामान्य)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
प्रतीक्षा सूची वाले प्रतिभागियों का नाम					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

**अ.जा. वर्ग की 16.20% और अ.ज.जा वर्ग की 8.20% भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
(ई) शिविर में भाग लेने के लिए दल की यात्रा की योजना।

- (i) प्रस्थान तिथि..... और समय
- (ii) शिविर में आगमन की तिथि..... और समय.....

प्रतिभागी केन्द्र के जिला युवा समन्वयक के हस्ताक्षर
(जिला युवा समन्वयक का नाम)

नेहरु युवा केन्द्र संगठन
साहसिक शिविर 2017-18, सारांश रिपोर्टिंग प्रारूप और विस्तृत रिपोर्ट के लिए अंक
(आयोजन केन्द्र के जिला युवा समन्वयक द्वारा तैयार किया जाना है)

भाग-ए

वेतन एवं लेखा कार्यालय.....राज्य.....राज्य निदेशक का नाम.....
जिला नेहरु युवा केन्द्र.....जिला युवा समन्वयक का नाम.....

1. साहसिक शिविर की गतिविधियों को करने के लिए सहयोगी एजेंसी का नाम
2. तिथि :से.....तक
3. साहसिक शिविर का स्थान
4. विभागों और एजेंसियों का सहयोग (एनएसएस और एनसीसी सहित).....
5. संसाधन जुटाये :

(ए) सामग्री (प्रकार) मात्रा कीमत (रुपयों में) एनसीसी और एनएसएस के सहयोग

- 1.
- 2.
- 3.

(बी) निधी (रुपयों में)

6. विषय विशेषज्ञों का नाम और उनके विशेषज्ञता क्षेत्र जो साहसिक शिविर प्रतिभागियों को संबोधित करते हैं।

(ए) विषय विशेषज्ञ का नाम विशेषज्ञता क्षेत्र

- i.
- ii.
- iii.
- iv.

7. साहसिक शिविरों में गणमान्य व्यक्तियों/वी.आई.पी. के नाम एवं पदनाम

(ए) गणमान्य व्यक्तियों/वी.आई.पी. के नाम पदनाम

- i.
- ii.
- iii.
- iv.

8. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियाँ

- i.
- ii.
- iii.
- iv.

9. प्रतिभागियों का विवरण

क्र.सं.	प्रतिभागी		प्रतिभागियों की श्रेणियाँ															
	राज्य	जिला	अ.जा.		अ.ज.जा.		अन्य पिछड़ा वर्ग		अल्प संख्यक		दिव्यांग		सामान्य		कुल		कुल योग	
			पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7	सांसद आदर्श ग्राम से श्रेणीवार प्रतिभागियों की संख्या																	
कुल योग																		

यह प्रमाणित है कि साहसिक शिविर में सभी प्रतिभागी 15–29 वर्ष की आयु के थे और उपर्युक्त गतिविधियाँ और कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे। इस रिपोर्ट को कार्रवाई की तस्वीरों, प्रेस क्लिपिंग्स और वीडियो क्लिप के साथ विस्तृत कथा रिपोर्टों द्वारा पूरक किया जाएगा।

राज्य निदेशक के हस्ताक्षर

जिला युवा समन्वयक के हस्ताक्षर

नेहरू युवा केन्द्र संगठन
साहसिक शिविर
दिनांकसे.....
स्थान

प्रतिभागियों से अपेक्षा
(प्रतिभागियों द्वारा आने पर भरी जाने वाली प्रश्नावली)

1. आप साहसिक शिविर में क्यों भाग लेना चाहते थे?

2. क्या आपने कभी अपने जिले के बाहर किसी जगह का दौरा किया है? यदि हाँ, तो आपका अनुभव क्या था?

3. इस कार्यक्रम से आपकी क्या उम्मीदें हैं?

4. क्या आपके मित्र/रिश्तेदार आपके जिले के बाहर हैं—.....—हां/नहीं
यदि हाँ, तो उस जगह का नाम दें—.....—

5. दोस्ती, अच्छे भोजन, अच्छे स्वास्थ्य और भाईचारे के बारे में आपकी क्या राय है और इनको मजबूत करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे?

6. क्या आप नेहरू युवा केंद्र या सरकार के अन्य विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के बारे में जानते हैं। अपने जिले में, यदि हाँ, कृपया विस्तार से बताएं।

7. आप किन कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं। (अच्छी तरह से स्थापित ट्रैक, रॉक क्लाइम्बिंग, रिपेलिंग, सफ़ारी, कृत्रिम रॉक/दीवार पर चढ़ना, सफेद पानी राफ्टिंग, कयाकिंग और कैनोइंग, लंबी तैराकी, जल खेल, पैरा सेलिंग, पैरा ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग इत्यादि) उल्लिखित करना?

8. आपके शौक क्या हैं? कृपया निर्दिष्ट करें

9. समाज में साहसिक गतिविधियों को मुख्यधारा में लाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?

10. इस कार्यक्रम से आप क्या विशेष रूप से सीखना और अनुभव प्राप्त करना चाहेंगे?

11. कोई अन्य बिंदु जिसका आप उल्लेख करना चाहते हैं—

प्रतिभागियों के लिए फीडबैक प्रपत्र
(कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों द्वारा भरी जाने वाली प्रश्नावली)

1. प्रतिभागी का नाम (वैकल्पिक)-----

2. शिविर के पहले दिन आने पर आपकी पहली भावना क्या थी और अब आपके विचार और प्रभाव क्या हैं?

3. क्या आपने इस कार्यक्रम के दौरान कोई दोस्त बनाया है यदि हाँ, तो ब्याज के कितने और सामान्य क्षेत्र हैं?

4. आपने इस कार्यक्रम के बारे में कितना प्रभावित किया
कार्यक्रम के विषय-----
कक्षा कक्ष सत्र-----
संस्कृति-----
अन्य शिविर गतिविधि-----
संसाधन व्यक्ति के संपर्क का तरीका-----
5. क्या इस कार्यक्रम ने साहसिक मुद्दे के बारे में आपके ज्ञान को समृद्ध किया?

6. किस तरह से आपको लगता है कि आप समाज में जिम्मेदार और उत्पादक युवाओं की परवरिश में योगदान दे सकते हैं?

7. अपने इलाके में किशोरों को मुख्यधारा में लाने के लिए साहसिक शिविर में भाग लेने के बाद आप क्या भूमिका निभाएंगे?

8. आप अपने लाभ के लिए अपने साथियों के समूह में साहसिक शिविर में जमा की गई जानकारी का प्रसार कैसे करेंगे?

9. के संगठन में आप क्या सुधार सुझाएंगे
साहसिक शिविर? जिन गतिविधियों को आप जोड़ना चाहते हैं/कार्यक्रम से बाहर रखा गया है।

10. आपका समग्र प्रभाव:

भोजनालय और आवास:-----

कार्यक्रम और गतिविधियाँ: -----

संसाधन व्यक्ति के साथ सहभागिता: -----

युवाओं के साथ बातचीत: -----

11. कोई अन्य टिप्पणी जो आप उपरोक्त बिंदुओं से अलग दर्ज करना चाहते हैं।

साहसिक शिविर की विस्तृत रिपोर्ट निम्नलिखित तरीके से (3 प्रतियों में) आनी चाहिए।

साहसिक शिविर रिपोर्ट की सामग्री में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: –

1. फ्रंट और बैक कवर पेज (नमूना संलग्न)
2. फोटो कोलाज फ्रंट और बैक पेज के आंतरिक आवरण में दिया जा सकता है
3. युवाओं पर माननीय प्रधान मंत्री का उद्धरण
4. राज्य में युवाओं की स्थिति
5. नेयुकेसं की साख
6. पृष्ठभूमि और संदर्भ
7. उद्देश्य और उद्देश्य (साहसिक शिविर के दिशा निर्देशों के अनुसार)
8. युवाओं की पृष्ठभूमि पर एक संक्षिप्त साहसिक साहसिक शिविर में भाग लिया
9. रणनीति लागू करना
10. किट में दी गई सामग्री जैसे। आईईसी सामग्री, पुस्तिकाएं आदि।
11. रिपोर्टिंग प्रोफार्मा (फॉर्म –4) के साथ कार्यक्रम और गतिविधियों का विवरण विधिवत रूप से प्रासंगिक कार्रवाई तस्वीरों की अधिकतम संख्या द्वारा समर्थित है जिसमें शामिल होना चाहिए: –
 - साहसिक गतिविधियों पर कार्रवाई चित्र (साहसिक दिशा-निर्देशों में उल्लिखित मुख्य मुद्दों पर)

साहसिक शिविर में प्रत्येक गतिविधि पर लिखें	उस गतिविधि के फोटो दिए जाने चाहिए
साहसिक शिविर में प्रत्येक गतिविधि पर लिखें	उस गतिविधि के फोटो दिए जाने चाहिए

12. वित्तीय निहितार्थ (अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना)
13. प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया (फॉर्म –5 और 6)
14. आउटकम और निष्कर्ष
15. रिपोर्ट को नमूना निमंत्रण कार्ड, प्रेस क्लिपिंग और ऑडियो वीडियो सीडी द्वारा विधिवत समर्थन किया जाना चाहिए।
16. वीआईपी, राज्य/जिला स्तर के अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सूची कार्यक्रम में शामिल हुई
17. प्रेस क्लिपिंग का कोलाज



Adventure Camp



Nehru Yuva Kendra sangathan



Under the scheme of National Programme for Youth and Adolescent Development (NPYAD), MoYAS, Govt. of India

Sample Cover Page

Organised By

Nehru Yuva Kendra

(Ministry of Youth Affairs and Sports, Govt. of India)

Date:- from to


Name of Venue.....

District.....State.....



Arise, Awake, and Stop not till the Goal is reached

-Swami Vivekananda



साहसिक शिविर



Nehru Yuva Kendra sangathan

नेहरु युवा केन्द्र संगठन
साथ साथ
कल की ओर..

राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रमयोजना के तहत,
युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार

Sample Back Page

आयोजक.

नेहरु युवा केन्द्र.....

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार

दिनांक -----से -----तक

शिविर स्थल का नाम-----जिला-----राज्य-----



"उठो, जागो और तब तक मतरुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए"

-स्वामी विवेकानंद

नेहरू युवा केंद्र संगठन
साहसिक शिविर 2017-18,
कार्यान्वयन की योजना (आयोजन केंद्र के राज्य निदेशक द्वारा तैयार किया जाना)

वेतन एवं लेखा कार्यालय..... राज्य..... राज्य निदेशक का नाम.....

क्र. सं.	राज्य	आवंटित किए गए साहसिक शिविरों की संख्या	आयोजन केन्द्र का नाम	साहसिक शिविर की तिथि और अवधि और स्थान	लाभार्थियों की संख्या लाभार्थियों के विवरण अनुलग्नक-I (नाम, आयु, लिंग, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड संख्या) के रूप में	साहसिक गतिविधियों के प्रकार	एजेंसी का नाम और पता साहसिक शिविरों के लिए	संदर्भ व्यक्तियों का नाम	गतिविधियों की दैनिक अनुसूची अनुलग्नक-I (गतिविधियों का नाम, गतिविधियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या, साहसिक संस्थान का नाम, संदर्भ व्यक्तियों की संख्या) के रूप में संलग्न करें	प्रतिभागी केन्द्र		
										नाम	राज्य	प्रतिभागियों की संख्या
1										1.		
										2.		
										3.		
										4.		
										5.		
2										1.		
										2.		
										3.		
										4.		
										5.		
3										1.		
										2.		
										3.		
										4.		
										5.		

लेखा अधिकारी द्वारा तैयार

राज्य निदेशक द्वारा

सत्यापित और हस्ताक्षरित

नोट: कार्यान्वयन की यह योजना जल्द से जल्द ईमेल द्वारा मुख्यालय (project-nyks@gmail-com और arjun03-2000@yahoo-com) को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

प्रतिभागियों के लिए फीडबैकप्रपत्र
(कार्यक्रम के अंतमेंप्रतिभागियों द्वाराभरीजानेवालीप्रश्नावली)

1. प्रतिभागीकानाम(वैकल्पिक)-----

2. शिविर के पहलेदिनआनेपरआपकीपहलीभावनाक्याथीऔरअबआपकेविचारऔरप्रभावक्याहैं?

3. क्याआपनेइसकार्यक्रम के दौरानकोईदोस्तबनायाहै यदिहाँ, तोब्याज के कितनेऔरसामान्य क्षेत्र हैं?

4.आपनेइसकार्यक्रम के बारेमेंकितनाप्रभावितकिया

कार्यक्रम के विषय-----

कक्षा कक्ष सत्र-----

संस्कृति-----

अन्य शिविरगतिविधि-----

संसाधनव्यक्ति के संपर्ककातरीका-----

5. क्याइसकार्यक्रमनेसाहसिकमुद्दे के बारेमेंआपकेज्ञानको समृद्ध किया?

6. किसतरह से आपकोलगताहैकिआपसमाजमेंजिम्मेदारऔरउत्पादक युवाओं की परवरिशमें योगदान दे सकतेहैं?

7. अपनेइलाकेमेंकिशोरोंकोमुख्यधारामेंलाने के लिए साहसिकशिविरमेंभागलेने के बादआपक्याभूमिकानिभाएंगे?

8. आपअपनेलाभ के लिए अपनेसाथियों के समूहमेंसाहसिकशिविरमेंजमा की गईजानकारीकाप्रसारकैसेकरेंगे?

9. के संगठनमेंआपक्यासुधारसुझाएंगे
साहसिकशिविर? जिनगतिविधियोंकोआपजोड़नाचाहतेहैं/ कार्यक्रम से बाहर रखागयाहै।

10. आपकासमग्रप्रभाव:

भोजनालय औरआवास:-----

कार्यक्रमऔरगतिविधियाँ: -----

संसाधनव्यक्ति के साथसहभागिता: -----

युवाओं के साथबातचीत: -----

11. कोईअन्य टिप्पणी जोआपउपरोक्तबिंदुओं से अलगदर्जकरनाचाहतेहैं।

**नेहरू युवाकेंद्रसंगठन
साहसिकशिविर 2017-18,
कार्यान्वयन की योजना(आयोजनकेंद्र के राज्य निदेशक द्वारातैयारकियाजाना)**

वेतन एवंलेखाकार्यालय..... राज्य..... राज्य निदेशककानाम.....

क्र. सं.	राज्य	आवंटितकिए गए साहसिकशिविरों की संख्या	आयोजनकेंद्रकानाम	साहसिकशिविर की तिथिऔरअवधिऔरस्थान	लाभार्थियों की संख्या लाभार्थियों के विवरणअनुलग्नक-I(नाम, आयु, लिंग, पता, मोबाइलनंबरऔरआधारकार्ड संख्या) के रूपमें	साहसिकगतिविधियों के प्रकार	एजेंसीकानामऔर पता साहसिकशिविरों के लिए	संदर्भव्यक्तियोंकानाम	गतिविधियों की दैनिकअनुसूचीअनुलग्नक-II (गतिविधियोंकानाम, गतिविधियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या, साहसिकसंस्थानकानाम, संदर्भव्यक्तियों की संख्या) के रूपमेंसंलग्नकरें	प्रतिभागीकेन्द्र		
										नाम	राज्य	प्रतिभागि की संख
1										1.		
										2.		
										3.		
										4.		
										5.		
2										1.		
										2.		
										3.		
										4.		
										5.		
3										1.		
										2.		
										3.		
										4.		
										5.		

लेखाअधिकारीद्वारातैयार राज्य निदेशक द्वारासत्यापितऔरहस्ताक्षरित

नोट:कार्यान्वयन की यह योजनाजल्द से जल्दईमेल द्वारामुख्यालय (project-nyks@gmail-comऔरarjun03-2000@yahoo-com)कोप्रस्तुत की जानीचाहिए।